न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– मुक्तानन्द अग्रवाल, I.A.S.

प्रकरण संख्या –266/2011 (अपील)

1. चौथमल पुत्र लाली जाति लश्करी निवासी ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––अपीलांट्स

बनाम

1. एच.शंकर मेमोरियल उच्च शिक्षा संस्थान कोटा जर्ये अध्यक्ष डॉ0 सुभाष भारद्वाज पुत्र हरिशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ए–74 सुभाष कॉलोनी खेडली फाटक कोटा राज0
2. सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0

–––रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी नामान्तकरण संख्या 592 आदेश दिनांक 24.5.2010 ग्राम किशनपुरा तकिया तह0 लाडपुरा

उस्थिति

1. श्री इस्हाक मोहम्मद, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 1

निर्णय

दिनांक– 06.08.2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा आदेश दिनांक 24.05.2010 को नामान्तरकरण संख्या 592 ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा में आदेश दिया कि. " विक्रेता चौथमल के हिस्से पर क्रेता का नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है ।" बाबत आदेश पारित किया गया ।
2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 24.8.2011 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई गौर नहीं फरमाया कि रेस्पो0 क्रम 1 ने बिना प्रतिफल दिये ही अपीलान्ट को धोखा देकर अपनी राजनैतिक हैसियत का लाभ उठाकर बेनामे की रजिस्ट्री करवा ली जबकि विवादित आराजी पर न तो अपीलार्थी का कभी कब्जा रहा है और न ही कभी काश्त की है । अपीलार्थी की माता का नाम बतौर वारिस राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया था । माता लाली की मृत्यु होने पर बतौर वारिस अपीलार्थी के नाम इन्तकाल तस्दीक किया गया । विवादित आराजी को अपीलार्थी पूर्व में ही शेष वारिसान के नाम रिलीज कर चुका था लेकिन रेस्पो0 क्रम 1 ने अपीलार्थी को धोखे में रखकर बिना प्रतिफल दिये कब्जा होने के बाद प्रतिफल देने का झांसा देकर बेनामें की रजिस्ट्री करवा ली । विवादित आराजी पर कभी अपीलार्थी का कब्जा नहीं रहा है इसलिए बिना कब्जे के आधार पर जो इन्तकाल तस्दीक किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

कोई अवसर नहीं दिया इसलिए आदेश इन्तकाल त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त आराजी की बेनामें की रजिस्ट्री मनमाने रूप से दौ पार्ट में करवाई गई है जो अपीलार्थी के हिस्से से अधिक मनमाने रूप से करवाई मई है तथा इन्तकाल भी बेनामें के अनुरूप नहीं खोला गया है इसलिए आदेश इन्तकाल त्रुटिपर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । आदेश इन्तकाल की जानकारी सर्वप्रथम अपीलार्थी को दिनांक 4.8.2011 को हुई तथा दिनांक 5.8.2011 को नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नकल दिनांक 11.8.2011 को प्राप्त हुई इस प्रकार अपील जानकारी की तिथि एवं नकल प्राप्त करने के समय को गुजरा करने के बाद अवधि मध्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश इन्तकाल अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाई जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पो0 कम 1 ने बिना प्रतिफल दिये ही अपीलान्ट को धोखा देकर अपनी राजनैतिक हैसियत का लाभ उठाकर बेनामे की रजिस्ट्री करवा ली जबकि विवादित आराजी पर न तो अपीलार्थी का कभी कब्जा रहा है और न ही कभी काश्त की है । अपीलार्थी की माता का नाम बतौर वारिस राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया था । माता लाली की मृत्यु होने पर बतौर वारिस अपीलार्थी के नाम इन्तकाल तस्दीक किया गया । विवादित आराजी को अपीलार्थी पूर्व में ही शेष वारिसान के नाम रिलीज कर चुका था । लेकिन रेस्पो0 कम 1 ने अपीलार्थी को धोखे में रखकर बिना प्रतिफल दिये कब्जा होने के बाद प्रतिफल देने का झांसा देकर बेनामें की रजिस्ट्री करवा ली तथा उक्त इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया । उक्त आराजी की बेनामें की रजिस्ट्री मनमाने रूप से दौ पार्ट में करवाई गई है जो अपीलार्थी के हिस्से से अधिक करवाई गई है तथा इन्तकाल भी बेनामें के अनुरूप तस्दीक नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें तथा प्रकरण को दौबारा सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावें ।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कंथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामा0 संख्या 592 दिनांक 24.5.2010 तस्दीक करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है, क्योंकि उक्त नामान्तकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला जाकर तस्दीक किया गया है । जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध नामान्तकरण 592 दिनांक 24.5.2010 की प्रति का अवलोकन किया, जिस अनुसार ग्राम किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा के खाता सं0 103 में विक्रेता चौथमल के हिस्से पर क्रेता का नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गई है । नामान्तकरण की कार्यवाही एक सतत प्रकिया है, ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र का नामान्तकरण खोलना तहसीलदार का दायित्व है । अपीलान्ट के कथन आधारहीन है कि रेस्पो0 नं0 1 द्वारा अपीलान्ट को धोखे में रखकर

जिला कलेक्टर

Scanned by CamScanner

राजनैतिक हैसियत का लाभ उठाकर बेनामें रजिस्ट्री करवा ली ओर उसका प्रतिफल भी अदा नहीं किया । यदि अपीलान्ट को उक्त विक्रय पत्र से आपत्ति है तथा प्रतिफल प्राप्त नहीं किया अथवा अपीलान्ट धोखे से रजिस्ट्री कराना मानते है तो रजिस्ट्री के निरस्तीकरण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है । अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 592 दिनांक 24.5.2010 की प्रक्रिया में कोई दोष प्रतीत नही होता है ।

7. परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार योग्य होने से खारिज की जाती है ।

8. निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला कलेक्टर
कोटा

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा

Scanned by CamScanner